राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/जयपुर–जोन/एफ.31033/2025/ दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 521 दिनांक 19.05.2020 के द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटकासिम, खैरथल–तिजारा के दो वर्ष की परिवीक्षा काल अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने पर दिनांक 20.11.2019 से 20800 (लेवल–5) पर वेतन नियतन के आदेश जारी किये गये थे। कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. एफ 3(1) डीओपी/ए–II/2013 जयपुर, दिनांक 02.01.2017 के अनुसरण में निःशक्त व्यक्तियों को टंकण अर्हता परीक्षा से मुक्त रखने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग की पत्रावली सं. प. 24(5)कार्मिक/क–2/2024(171)–23181 की सहमति पश्चात् श्री रविन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटकासिम, खैरथल–तिजारा को राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

उक्त कार्मिक को निःशक्तता (42 प्रतिशत) प्रमाण–पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी तिथि 22.08.2024 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नगद लाभ देय होगा एवं इससे पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि का काल्पनिक लाभ देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/जयपुर–जोन/एफ.31033/2025/232 दिनांक : 10/3/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खैरथल–तिजारा/अलवर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटकासिम, खैरथल–तिजारा/अलवर।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :08-03-2025 04:58:51